

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 398/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

कोगटा फाइनेंशियल (इण्डिया) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय- ए कोगटा हाऊस, आजाद मोहल्ला,
विजयनगर राजस्थान एवं निगमित कार्यालय एस-1, गोपालवाड़ी, अजमेर पुलिस के पास, मेट्रो पिलर नं.
143 के सामने, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री तेजपाल यादव पुत्र श्री छीतर मल यादव,
पता:- प्लॉट नं. 3, श्याम कॉलोनी, रायथल रोड, जाहोता, आमेर, जयपुर।
एवं श्री श्याम कम्प्यूटर जरिये प्रोपराईटर श्री तेजपाल यादव, यूनियन बैंक के पास, धोली मण्डी,
रेनवाल रोड, चौमूं, राजस्थान।
2. श्री बनवारी लाल यादव पुत्र श्री छीतर मल यादव,
पता:- प्लॉट नं. 3, श्याम कॉलोनी, रायथल रोड, जाहोता, आमेर, जयपुर।
एवं सिद्धी विनायक ट्रेडर्स जरिये प्रोपराईटर श्री बनवारी लाल यादव, आमों की ढाणी, लालचंदपुरा,
पथवा, जयपुर।
3. श्री रमेशचंद्र पुत्र श्री छीतर मल यादव,
पता :- प्लॉट नं. 3, श्याम कॉलोनी, रायथल रोड, जाहोता, आमेर, जयपुर।
4. श्रीमती मन्नी देवी यादव पत्नी श्री छीतर मल यादव,
पता :- प्लॉट नं. 3, श्याम कॉलोनी, रायथल रोड, जाहोता, आमेर, जयपुर।
5. श्रीमती सीमा यादव पत्नी श्री तेजपाल यादव,
पता :- राजकीय विद्यालय के पीछे, मलिकपुर, चौमूं, जयपुर।
6. श्री महेश वर्मा पुत्र श्री रूपनारायण वर्मा,
पता :- बिचपडी, चौमूं जयपुर।



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :-

1. श्री भवानी सिंह नरुका, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 30.09.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 19.02.2021 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती मन्नी देवी के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट संख्या 03, श्याम नगर ग्राम जाहोता, तहसील आमेर, जयपुर, क्षेत्रफल 200 वर्गगज को बन्धक रख कर राशि 20,23,742/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.05.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 20,23,742/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 22,53,741/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 10.05.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती मन्नी देवी के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट संख्या 03, श्याम नगर ग्राम जाहोता, तहसील आमेर, जयपुर, क्षेत्रफल 200 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 12.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



प्रकाश राजपुसोहित
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर